

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी, बरेली।

प्रकीर्ण फौंवाद सं0-18/2024

मु0 अ0 सं0-385/2023

वादिनी-कलावती

धारा-147,365,323,504,506 भा०दं०सं०

थाना-बहेड़ी, जिला बरेली।

दिनांक:-21.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। वादिनी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचनाधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी है। वादिनी द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दाखिल किया है। वादिनी मुकदमा उक्त अंतिम रिपोर्ट, अन्तर्गत धारा 147,365,323,504,506 भा०दं०सं०, थाना बहेड़ी, जिला बरेली में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है। उपरोक्त वाद में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी मुकदमा को नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा **कलावती** द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत वाद में दाखिल अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। वादिनी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान अंकित कराये गये तथा वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि मैं इस मुकदमे से भली भांति परिचित हूँ। इस मुकदमे की विवेचना थाना पुलिस बहेड़ी द्वारा करते हुए अंतिम आख्या माननीय न्यायालय प्रेषित कर दी गई है। मुझे इस प्रेषित अंतिम आख्या/विवेचना के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ तथा माननीय न्यायालय से उक्त अंतिम आख्या को स्वीकार कराना चाहती हूँ। मैं इस मुकदमे में आगे अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ।

वादिनी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान अंकित कराया गया कि वह अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट है। मुझे उपरोक्त वाद में अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मु0 अ0 सं0 385/2023, अन्तर्गत धारा 147,365,323,504,506 भा०दं०सं०, थाना बहेड़ी, जिला बरेली में प्रस्तुत की गयी अंतिम रिपोर्ट सं० 107/2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(योगेश कुमार चौधरी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बहेड़ी, बरेली।

J.O. Code-UP3653